



F-07-08

F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 984 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 984

विषय/ Sub: एल्यूमिनियम अलॉय एक्स्ट्रूडेड बार 7010ए एस टी/
Aluminium Alloy Extruded Bar 7010A ST

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स आर्डिनेन्स फैक्टरी, अम्बाझरी, नागपुर – 440 021, द्वारा विकसित तथा उत्पादित “एल्यूमिनियम अलॉय एक्स्ट्रूडेड बार 7010ए एसटी” को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-984, दिनांक 01 फरवरी 2002, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 984 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-984-1आर, दिनांक 25 जनवरी 2012 द्वारा नवीकरण जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2016 तक थी।

This is to state that the “Aluminium Alloy Extruded Bar 7010A ST”, developed and manufactured by M/s Ordinance Factory Ambajhari, Nagpur – 440 021 was issued with Type Approval Number: 984 vide reference No.: CEMILAC/5070/TA-984, dated: 01st February 2002. The type approval subsequently renewed vide reference No.: CEMILAC/5070/TA-984/1R, dated: 25th January 2012 with its validity up to 31st December 2016.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 फरवरी 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 जनवरी 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (एफ एंड एफ-एफओएल), सेमिलाक, द्वारा एचएएल (एफ एंड एफ), बेंगलूरु – 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st February 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st January 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F-FOL), CEMILAC, C/o HAL (F&F), Bengaluru – 560 017, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-984, दिनांक 01 फरवरी 2002 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पांच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide reference No.: CEMILAC/5070/TA-984, dated: 01st February 2002 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक) बेंगलूरु- 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र/ पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval Certificate / letter remain unaltered, and fully applicable.

सं. /No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए/TA-984/2R

दिनांक /Date : 15 February 2018

फैक्स सं./Fax No: 080 – 2523 0856

HR.

(पी .जयपाल / P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उडनयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)